न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री बाबूलाल कोठारी**
आई.एस.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण:-
1.आसीदेवी पत्नि नागजी		1.राजस्थान राज्य जरिये
2.मुंगाराम पुत्र नागजी		तहसीलदार भीनमाल
3.नरींगाराम पुत्र नागजी		जिला जालोर
4.भमराराम पुत्र नागजी		2.खीमाराम पुत्र सरीया
तमाम जाति मेघवाल निवासी		3.उगमराम पुत्र सरीया
रणजी का गोलिया तहसील		4.कांतिलाल पुत्र सरीया
भीनमाल जिला जालोर		5.कमला पुत्री सरीया फौत के
		कायम मुकाम:-
		5/1.किसन कुमार उर्फ
		किसनलाल पुत्र मसराराम जाति
		हरिजन निवासी इन्द्रा कोलोनी,
		केस्टिन हरिशसिंहकोलोनी बाडमेर
		6.लीला पुत्री सरीया
		7.चैनाराम पुत्र जीताराम
		8.नैनाराम पुत्र जीताराम
		9.विक्रम पुत्र जीताराम
		10.सीखा पुत्री जीताराम
		11.सोरम पुत्री जीताराम
		12.लीला पत्नि जीताराम
		तमाम जाति हरिजन निवासीगण
		कुशालपुरा तहसील भीनमाल
		जिला जालोर

विविध प्रार्थना पत्र संख्या 06/2016

प्रार्थना पत्र वास्ते अपील रेस्टोर करने

पक्षकारान् के अधिवक्ता:-
1.श्री सरदारखां खोखर, अभिभाषक प्रार्थीगण।
2.श्री छोटूसिंह सरकारी अभिभाषक
3.श्री खसाराम अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6 से 12
4. अप्रार्थी संख्या 5/1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 23.05.2018

1. यह प्रार्थना पत्र बाबत अपील संख्या 07/2015 अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनवान आसी देवी वगैराह बनाम सरकार वगैराह को रेस्टोर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6 से 12 की ओर से उनके अभिभाषक ने व सरकार की ओर से सरकारी अभिभाषक ने उपस्थित होकर पैरवी की। अप्रार्थीगण संख्या 5/1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6 से 12 के अभिभाषक द्वारा जवाब पेश नहीं करने के कारण जवाब बंद किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में बहस सुनी गई।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खिलाफ नामान्तरकरण अपील संख्या 07/2015 अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत आसी देवी वगैरा बनाम सरकार जरिए तहसीलदार भीनमाल के अनवान से अपील पेश की थी और उक्त अपील में

प्रार्थीगण के वकील श्री मेघसिंहजी और ललितजी खत्री को पैरवी हेतु नियुक्त किया गया था। चूंकि यह अपील नामान्तरकरण के खिलाफ थी। ऐसे मे हर पेशी पर प्रार्थीगण का उपस्थित होना आवश्यक नहीं था,क्योकि प्रार्थीगण की तरफ से मेघसिंह भाटी को एडवाकेट नियुक्त कर दिया था। अपील संख्या 07/2015 प्रार्थीगण ने पेश करवाई थी।प्रकरण को Not Press करने की हिदायत प्रार्थीगण के वकील साहब श्री मेघसिंहजी भाटी व ललितजी खत्री को नहीं दी हुई थी। इसके अलावा उक्त अपील Not Press करना है,उसके लिये वकील साहब ने इसकी कोई सूचना नोटिस अथवा अन्य तरीके से नही भेजी थी।उक्त अपील में एडवोकेट श्री ललितजी खत्री ने दिनांक 29.06.2015 को बिना प्रार्थीगण की जानकारी दिये को Not press कर दिया।अपील को Not press प्रार्थीगण के वकील द्वारा करने से प्रार्थीगण कानूनी अधिकारो पर बुरा असर पडा है एवं न्याय प्राप्ति से मेहरूम रहना पड रहा है। Not press की जानकारी होती तो पैरवी के लिये वकील नियुक्त करते। प्रार्थीगण ग्रामीण क्षेत्र के गांव रणजी का गोलिया के निवासी है, जो जालोर से दूर है एवं प्रार्थीगण को कानून की भी जानकारी नही है। उक्त अपील Not press की गई, उसकी जानकारी दिनांक 17.01.2016 को गांव रणजी का गोलिया में लोगो द्वारा कहने से हुई कि तुम्हारे खेत की म्यूटेशन अपील जो जालोर में की है, वो खारिज हो गई है और उन्होने बताया कि कुशलापुरा गांव में खीमाराम पुत्र सरीयाराम हरिजन निवासी कुशलापुरा लोगो के सामने गांव में बात कर रहा था। जिस पर प्रार्थीगण को शक हुआ और दिनांक 18.01.2016 को जालोर आये और यहां वकील साहब से सम्पर्क किया तो जानकारी हुई कि उक्त प्रकरण दिनांक 29.06.2015 को Not press कर दिया है। जिस पर नकले मांगी जो दिनांक 28.01.2016 को प्राप्त हुई। इस प्रकार ज्ञान की तारीख दिनांक 17.01.2016 से उक्त प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को स्टोर कर करावे।प्रार्थीगण के वकील ने अपनी बहस के समर्थन में 2017(3)डीएनजे(राज)पेज 1202, 2007(1) आरएलडब्ल्यू पेज 555, आरएलडब्ल्यू 2003(4)(राज) पेज 2192 व आरएलडब्ल्यू 2002(4)(राज) पेज 2280 के दृष्टान्त पेश किये गये।

4. सरकारी विद्वान अभिभाषक ने व्यक्त किया कि रेस्टोर प्रार्थना देरी से पेश किया गया है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 से 4, 6 से 12 के विद्वान अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा Not press किया गया है तथा पुन: रेस्टोर प्रार्थना गलत पेश किया है। प्रार्थीगण के वकील द्वारा Not press करके अपील खारिज की गई है और एक वर्ष बाद रेस्टोर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जो विधी सम्मत नहीं है। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

6. मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दृष्टांतो का अवलोकन किया गया।

वस्तुत: यह प्रार्थना पत्र अपील संख्या 07/2015 अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनवान आसी देवी वगैराह बनाम सरकार वगैराह को रेस्टोर करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त अपील 17.03.2015 को प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई उक्त अपील में उनके अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर पैरवी की गई चूंकि प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपनी अपील की पैरवी के समस्त अधिकार अपने अभिभाषक को प्रदत किये जाते है और उनके अभिभाषक द्वारा ही अपील में Not press किया गया है और अब इस अपील को रेस्टोर का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी एवं इस अपील को पुन: रेस्टोर किये जाने हेतु युक्तियुक्त कारण प्रार्थी ने प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त अपील से ही प्रार्थीगण को न्याय प्राप्त हो अथवा अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है या प्रार्थीगण न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाते है ऐसे तथ्य या आधार प्रथम दृष्टया ही प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यथोचित व युक्ति युक्त रूप से प्रस्तुत नहीं किये है। इस प्रकार प्रार्थीगण की उक्त अपील

जरिए Not press खारिज किये जाने से प्रार्थीगण का न्याय प्राप्ति का उद्देश्य विफल हो जाता है, की कोई संभावनाए प्रतीत नहीं होती है। उसी अनुरूप अन्य कोई युक्ति युक्त तथ्य एवं न्याय की दृष्टि से ऐसे कोई मजबूत आधार एवं तथ्य, समायावधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के समुचित कारण व्यक्त नहीं किये गये है। ऐसे आधार या तथ्य प्रकट नहीं होने से उक्त दृष्टान्तो में भी प्रतिप्रादित मत से हम सहमत नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

Sd/-
(बाबूलाल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(बाबूलाल कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर